

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : १५/०८/२०२१

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 19.08.2021 के द्वारा नवनियुक्त निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों से कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया गया है। इनके निवेदन पर विचार करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 19.08.2021 में वर्णित निर्धारित कार्यग्रहण अवधि की निरन्तरता में उनके नाम के सम्मुख अवधि तक के लिए उनके कार्यग्रहण काल में एतद्वारा अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ राजेश कुमार	सहायक आचार्य, रेडियोथैरेपी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	2 माह
2.	डॉ आकाश शर्मा	सहायक आचार्य, नियोनेटोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	3 माह
3.	डॉ. सुशील गुप्ता,	सहायक आचार्य, नियोनेटोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा	3 माह
4.	डॉ. यश खटोड	सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	3 माह

उक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर/कोटा/जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के कार्यग्रहण काल में की गई अभिवृद्धि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये ई-मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)

उप शासन सचिव